आयोग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानक एवं क्षतिपूर्ति राशि का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.	सेवा क्षेत्र	प्रत्याभुति मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
(i)	**सामान्य फ्यूज ऑफ काल पर अनुक्रिया तथा सुधार कार्य**		
	शहरी क्षेत्र	कार्य दिवसों में 4 घंटों में भीतर तथा अकार्य दिवसों में 5 घंटों के भीतर	शिकायत के सुधार में विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
	ग्रामीण क्षेत्र	24 घंटों के भीतर	
(ii)	**लाईन भंग (breakdown) के कारण विद्यूत प्रदाय की पुरर्स्थापना {खंभों (पोल) का टूटना व उखड़ना असम्मिलित}**		
	शहरी क्षेत्र	दिन के प्रकाश में, 12 घंटों के भीतर	विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना किये जाने तक विलंब होने पर रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
	ग्रामीण क्षेत्र	तीन दिवस के भीतर	
(iii)	**वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर**		
	संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के भीतर	विशिष्ट ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेवाकृत समस्त उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता रू. 100 की दर से
	संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के भीतर	
	ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के भीतर तथा मानसून मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के भीतर	
(iv)	**अनुसूचित अवरोध अवधि (एक वर्ष मे चार बार से अनाधिक)**		
	एक बार में अधिकतम अवधि	12 घंटे से अनाधिक	विलंब होने पर रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(v)	**मापयंत्र (मीटर) संबंधी शिकायतें**		
	निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच	सात दिवस के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)
	धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30–72 घंटे के भीतर	
	जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण		

	उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो		
	अन्य समस्त प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	उपभोक्ता द्वारा प्रभार जमा करने के 7 दिवस के भीतर	
(vi)	**नवीन संयोजन/संविदा मांग में वृद्धि/संविदा मांग में कमी हेतु आवेदन**		
	निम्न दाब के प्रकरण में लक्ष्य से विचलन हेतु	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार लागू हो	विलंब होने पर, रू. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
	उच्च दाब तथा अति उच्च दाब के प्रकरण में लक्ष्य से विचलन हेतु	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार लागू हो	विलंब होने पर, रू. 200 प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(vii)	**सेवा में परिवर्तन**		
	श्रेणी में परिवर्तन	औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर 15 दिवस के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/- प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
	निम्न दाब एकल फेस से निम्न दाब तीन फेज एवं यथा विलोम (vice versa) रूपांतरण	प्रभारों के भुगतान की तिथि तथा परीक्षण प्रतिवेदन जमा करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर तथा यदि लाईन का विस्तार अपेक्षित हो तो 90 दिवस के भीतर	
	उपभोक्ता के विवरणों में परिवर्तन हेतु लगने वाला समय	आवेदन की तिथि से 10 दिवस तक	विलंब होने पर, रू. 100/- प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(viii)	**उपभोक्ता के देयकों से संबंधित शिकायतों का निराकरण**		
	यदि कोई भी अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो तो	शिकायत प्राप्ति के दिवस को (उच्च दाब उपभोक्ताओं को छोड़कर)	विलंब होने पर, रू. 100/- प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
	यदि अतिरिक्त जानकारी संग्रहित की जाना अपेक्षित न हो तो	शिकायत प्राप्त होने पर, शहरी क्षेत्रों में 5 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिवस के भीतर	
(ix)	समयावधि जिसके भीतर देयक जारी किया जाना अपेक्षित है	देय तिथि से 15 दिवस पूर्व	विलंब होने पर, रू. 100/- प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(x)	**संयोजन के विच्छेद के उपरांत विद्युत प्रदाय का पुनर्संयोजन**		
	नगर तथा शहर	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 4 घंटे के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/- प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
	ग्रामीण क्षेत्र	उपभोक्ता द्वारा देय भुगतान की प्राप्ति से 6 घंटे के भीतर	

(xi)	**अस्थाई संयोजन की स्वीकृति**		
	निम्न दाब, उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार लागू हो	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति दिवस (अथवा उसका अंश)
(xii)	**मापयंत्र (मीटर) संबंधी शिकायतें**		
	निरीक्षण तथा शुद्धता की जांच	सात दिवस के भीतर	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)
	धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना	शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर	
	जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना, यदि इसका कारण उपभोक्ता पर आरोपित न किया गया हो		
	अन्य समस्त प्रकरणों में, जले हुए मापयंत्रों की प्रतिस्थापना		
(xiii)	**अदेय प्रमाण (no dues certificate) जारी करना**		
	परिसर खाली करने या स्थाई संयोजन विच्छेद के प्रकरणों में अन्तिम भुगतान प्राप्त किये जाने पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करना	जैसा कि यह अधिसूचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार लागू हो	विलंब होने पर, रू. 100/– प्रति सप्ताह (अथवा उसका अंश)